



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 620]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 13, 2009/चैत्र 23, 1931

No. 620]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 13, 2009/CHAITRA 23, 1931

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2009

आय-कर

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2009

INCOME-TAX

का.आ. 961(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 44कख के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (10वां संशोधन) नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 के परिशिष्ट 2 में, प्ररूप सं. 3गघ की मद 17 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

“17क. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन अनुसूच्य व्याज की रकम।”

[अधिसूचना सं. 36/2009/फा. सं. 149/86/2008-टीपीएल]

आनन्द कुमार केंडिया, निदेशक (टीपीएल-III)

टिप्पण :—मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सं. का.आ. 866(अ) तारीख 27 मार्च, 2009 द्वारा आठम बार संशोधन किया गया।

1416 GI/2009.

S.O. 961(E).—In exercise of the powers conferred by Section 295 read with Section 44AB of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-Tax Rules, 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (10th Amendment) Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962, in Appendix II, in Form No. 3CD, after item 17, the following shall be inserted, namely :—

“17A. Amount of interest inadmissible under Section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.”

[Notification No. 36/2009/F. No. 149/86/2008-TPL]

ANAND KUMAR KEDIA, Director (TPL-III)

Note.—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and last amended by No. S.O. 866(E), dated 27-3-2009.